

भारतीय कारागार व्यवस्था में परिवर्तन

यह संपादकीय 21/11/2024 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "The long fight for accessibility, dignity in Indian prisons" पर आधारित है। यह लेख भारत में दवि्यांग कैदियों द्वारा झेली जाने वाली व्यवस्थागत उपेक्षा और दुरुव्यवहार को उजागर किया गया है। न्यायिक नरिदेशों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के बावजूद, कारागार/जेल की स्थिति भयावह बनी हुई है, विशेषकर कमजोर कैदियों के लिये।

प्रलिमिस के लिये:

भारतीय कारागार व्यवस्था, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39A, कारागार अधिनियम, 1894, आदर्श कारागार अधिनियम, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दवि्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, न्यायमूर्ति अमिताभ राय समिति, कृष्णा अय्यर समिति

मेन्स के लिये:

भारत में कारागार वनियमन, भारत में कारागारों से संबंधित प्रमुख मुद्दे।

भारतीय कारागार व्यवस्था प्रणालीगत वफिलताओं का एक स्पष्ट प्रमाण है, जिसमें लगातार भीड़भाड़, मानवाधिकारों का उल्लंघन और मौलिक कैदी कल्याण की नरितर उपेक्षा शामिल है। 1980 के दशक से कई न्यायिक हस्तक्षेपों और नीतिगत सफारिशों के बावजूद, कारागारों/जेल की स्थिति भयावह बनी हुई है, जहाँ सुविधाएँ अपनी इच्छति क्षमता से कहीं अधिक संचालित हो रही हैं। प्रणालीगत वफिलता विशेष रूप से कमजोर आबादी (जैसे कि दवि्यांग कैदी, जिन्हें अत्यधिक हाशिये पर रखा जाता है और बुनियादी मानवीय सम्मान से वंचित किया जाता है) के साथ होने वाले व्यवहार में स्पष्ट है जिसपर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत में कारागारों का वनियमन कसि प्रकार किया जाता है?

■ संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 21:** यह कैदियों को यातना और अमानवीय व्यवहार से बचाता है। यह कैदियों के लिये समय पर सुनवाई भी सुनिश्चित करता है।
- **अनुच्छेद 22:** गरिफ्तार व्यक्तियों को उसकी गरिफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिये और उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने तथा बचाव कराने का अधिकार है।
- **अनुच्छेद 39A:** कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिये **नशिलक कानूनी सहायता** सुनिश्चित करता है।

■ कानूनी ढाँचा:

- **कारागार अधिनियम, 1894:** ब्रिटिश शासन के दौरान अधिनियमित कारागार अधिनियम, भारत में जेल प्रबंधन के लिये आधारभूत कानूनी ढाँचे के रूप में कार्य करता है।
 - यह कैदियों की हरिसत और अनुशासन पर केंद्रित है, लेकिन इसमें पुनर्वास तथा सुधार के प्रावधानों का अभाव है।
- **कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920:** यह कानून कैदियों की पहचान प्रक्रिया और बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को नियंत्रित करता है।
- **कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम, 1950:** यह वभिन्न राज्यों और अधिकार क्षेत्रों के बीच कैदियों के स्थानांतरण के लिये दिशा-नरिदेश प्रदान करता है।

■ नरिक्षण तंत्र:

- **न्यायिक नगरिनी:** भारतीय न्यायपालिका जनहति याचिकाओं (PIL) और कैदियों के अधिकारों से संबंधित वशिष्ट मामलों के माध्यम से **जेल की स्थितियों की नगरिनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाती है।
 - उदाहरण के लिये, **श्री. प्रेमचंद शर्मा vs. राज्य (1997)** में सर्वोच्च न्यायालय ने गरिफ्तारी और हरिसत के लिये सख्त प्रोटोकॉल का नरिदेश दिया था।
 - सर्वोच्च न्यायालय के हालिया नरिदेशों में राज्यों द्वारा मानवाधिकार मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- **संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे:** कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सम्मेलन कैदियों के उपचार तथा यातना की रोकथाम के लिये वैश्विक मानक नरिधारित करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **भीड़भाड़ और कक्षमता संकट**: भारतीय कारागार व्यवस्था उल्लेखनीय वृद्धि के कारण संकट में है, अधिकारिक आँकड़ों से पता चलता है कि देश भर में **कक्ष सुवधाओं में 131% अधिभोग दर (दिसंबर 2022)** है।
 - वर्ष 2021 में यह संकट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे अधिक तीव्र था, जहाँ कैदियों की संख्या **80% को पार कर गई**, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया, बुनियादी सुवधाओं तक पहुँच सीमित हो गई तथा कैदियों के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ गई।
- **वचाराधीन कारावास और न्यायिक वलिंब**: वचाराधीन संकट भारत की न्यायिक प्रणाली की मूलभूत वफिलता को दर्शाता है।
 - जेल सांख्यिकी भारत रिपोर्ट- 2022 के अनुसार, **भारत के 75.8% कैदी वचाराधीन** हैं।
 - जैसा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेशों में उजागर किया गया है, नौकरशाही की अक्षमताओं के कारण **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479** जैसे प्रावधानों के तहत रहिई के पात्र होने के बावजूद कई वचाराधीन कैदी जेल में बंद हैं।
 - यह व्यवस्थित वफिलता जेलों को दीर्घकालिक नज़रबंदी कैदों में बदल देती है, जहाँ कानूनी सज़ा से पहले ही व्यक्तियों को दंडित कर दिया जाता है तथा कुछ वचाराधीन कैदियों को औपचारिक सज़ा के बिना ही वर्षों तक जेल में रहना पड़ता है।
- **कैदियों का पुनरवास और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे**: भारत की जेल प्रणाली **पुनरवासात्मक के बजाय मूलतः दंडात्मक बनी हुई है**, जिसमें मनोवैज्ञानिक सहायता, कौशल विकास या सामाजिक पुनः एकीकरण के लिये बुनियादी अवसरचना अपर्याप्त है।
 - व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव **संस्थागत आघात का एक चक्र** बनाता है, जिसमें कैदियों में अवसाद, चिंता और संभावित पुनरावृत्त की दर बढ़ जाती है।
 - वभिन्न भारतीय अध्ययनों से पता चला है कि **कैदियों में मानसिक बीमारियों की वर्तमान व्यापकता 21% से 33% तक है।**
- **दवियांग कैदी और पहुँच**: वकिलांग कैदियों की प्रणालीगत उपेक्षा भारत की सुधार व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण मानवाधिकार वफिलता का प्रतनिधित्व करती है।
 - नपिमैन फाउंडेशन द्वारा **दिल्ली की प्रमुख जेलों के वर्ष 2018 के ऑडिट में** अभिमि संबंधी गंभीर खामियाँ उजागर हुईं, जनिमें **गैर-कार्यात्मक वहीलचेयर, दुराग कोठरियाँ और शौचालय** शामिल हैं, जो बुनियादी तौर पर मानवीय गरमि से समझौता करते हैं।
 - **दवियांग व्यक्तियों का अधिकार अधनियम, 2016** और **नेल्सन मंडेला नयिम (2015)** में उचित व्यवस्था का प्रावधान है, फरि भी क्रयिान्वयन लगभग न के बराबर है।
- **हरिसत में हसिा और मानवाधिकार उल्लंघन**: हरिसत में हसिा भारतीय जेलों में एक सतत् और प्रणालीगत मुद्दा बनी हुई है तथा जवाबदेही के लिये संस्थागत तंत्र गंभीर रूप से कमज़ोर बना हुआ है।
 - **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने सत्र 2020-21 में बंदीगृह में 1,850 से अधिक मौतों की सूचना दी, जो संस्थागत दंड-मुक्त की संस्कृति को उजागर करती है।
 - **तमलिनाडु के सथानकुलम में बंदीगृह में हुई मौतों** और अनेक मुठभेड़ों जैसे हाल के चर्चित मामलों ने संस्थागत हसिा की गहरी जड़ें जमाए बैठी संस्कृति को उजागर कर दिया है।
- **जात-आधारित भेदभाव**: जेलों के भीतर जात-आधारित भेदभाव एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जो सीमांत समुदायों के कैदियों के उपचार और पुनरवास को प्रभावित करता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय जेलों में **जात-आधारित पृथक्करण प्रथाओं के खिलाफ फैसला सुनाया तथा उन्हें असंवैधानिक घोषित किया।**
 - इस ऐतिहासिक नरिणय के बावजूद, **कार्यान्वयन एक चुनौती बनी हुई है** जो इन कैदियों की गरमि और अधिकारों को कमज़ोर करती है।
- **लगि-वशिष्ट मुद्दे**: महिला कैदियों को वशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जनिन्हें जेल सुधार के बारे में चर्चाओं में प्रायः नज़रअंदाज़ कर

- जेलों में बंद 23,772 महिलाओं में से **18,146 (76.33%)** वचिाराधीन हैं ।
- रपिरॉर्टों से पता चलता है कभहिला कैदी वशिष रूड से कारागार कर्मचारियों और डुरुष कैदियों दोनों से यौन डुरव्यवहार एवं उत्पीडन का शकिार होती हैं ।
- कई बंदीगृहों में महिला गारडों की अनुपस्थति इस समस्य को और बढा देती है, जसिसे महिलाओं को डुरव्यवहार के वरिद्ध पर्याप्त सुरकषा या सहारा नही मलि पाता है ।
- इसके अतरिकित, जेलों में गर्भवती महिलाओं को परायः उचति प्रसवपूर्व देखभाल और सहायता सेवाओं का अभाव रहता है, जो महिला कैदियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रणालीगत वफिलता को उजागर करता है ।

- **हुसैनआरा खातून बनाम गृह सचिव (बहिर):** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि निरिधन आरोपी व्यक्तियों को नषिपक्ष सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित करने के लिये नशिल्क कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिये ।
- **चार्ल्स शोभराज बनाम सेंट्रल जेल अधीक्षक:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी के जेल में बंद होने मात्र से उसके मौलिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता ।
 - जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखना मानवाधिकारों का उल्लंघन घोषित किया गया ।
- **सुनील बत्रा बनाम दलिली प्रशासन (वर्ष 1978):** इस मामले में यह पुष्ट की गई कि कैदियों को उनके मौलिक अधिकार तब तक प्राप्त हैं जब तक कि वे कारावास के साथ संघर्ष नहीं करते हैं, जिसमें क्रूर और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा भी शामिल है ।
- **राममूर्त बनाम कर्नाटक राज्य (वर्ष 1997):** न्यायालय ने जेलों में भीड़भाड़, वलिबति सुनवाई, स्वास्थय की उपेक्षा और दुरव्यवहार जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान दिया तथा सरकार से सुधार लागू करने का आग्रह किया ।

- **बुनियादी अवसंरचना और सुगम्यता सुधार:** जुलाई 2024 के गृह मंत्रालय के सुगम्यता दशान्तरिक्षों को लागू किया जा सकता है , जिससे जेल के बुनियादी अवसंरचनाओं के लिये सार्वभौमिक डिज़ाइन सिद्धांतों का निर्माण हो सके जो दवायों के लिये उपयुक्त हों ।
 - **मांड्यूलर जेल डिज़ाइन** वकिसति किये जाने चाहिये जिससे कुशल स्थान उपयोग के माध्यम से भीड़भाड़ को कम किया जा सके और वभिन्न कैदी श्रेणियों के लिये अलग-अलग कक्ष बनाए जा सकें ।
 - **संधारणीय जेल अवसंरचना** में नविश किया जाना चाहिये जिसमें **नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और पारस्थितिक पुनर्वास कार्यक्रम** शामिल हों ।
 - **महिलाओं, वृद्ध जनों और दवायों सहित** कमजोर आबादी के लिये विशेष आवास इकाइयाँ बनाए जाने चाहिये ।
 - बहुउद्देशीय स्थान वकिसति किये जाने चाहिये जो शिक्षा, कौशल विकास और मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा प्रदान कर सकें ।
- **न्यायिक प्रक्रिया में तेज़ी और कानूनी सहायता:** प्रौद्योगिकी-सकषम मामला प्रबंधन प्रणालियों और वशिषीकृत फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से मुकदमों में तेज़ी लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक न्यायिक सुधार रणनीति को लागू किया जाना चाहिये ।
 - **प्रत्येक 30 कैदियों के लिये एक वकील की न्यायमूर्तिअमिताभ राय समिति** की सफ़ारिश को अपनाया जाना चाहिये, जिससे एक सुदृढ़ कानूनी सहायता तंत्र तैयार हो सके जो वचाराधीन कैदियों के लिये सार्थक कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सके ।
 - **2022 2022 2022 2022 2022 2022 (1978) 22 202220222022** से परेरणा लेते हुए अगरमि ज़मानत तंत्र का वसितार किया जाना चाहिये, ताकि आनुपातिक सज़ा वकिल्प प्रदान करते हुए न्यायिक लंबित मामलों को कम किया जा सके ।
- **व्यापक पुनर्वास और कौशल विकास:** अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षिक कार्यक्रम और मनोवैज्ञानिक परामर्श को लागू करके जेलों को दंडात्मक संस्थानों से पुनर्वास केंद्रों में बदलने की आवश्यकता है ।
 - **उद्योगों के साथ सार्वजनिक-नज़ि साझेदारी** वकिसति किया जाना चाहिये ताकि जेल-आधारित कौशल विकास कार्यक्रम बनाए जा सकें जो रहिई के बाद रोज़गार के अवसरों की गारंटी दे सकें ।
 - **एक वशिष भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा बनाने के लिये मुलला समिति** की सफ़ारिशों को लागू किया जाना चाहिये, जो जेल कर्मचारियों के लिये पुनर्वास-उन्मुख प्रशिक्षण पर ज़ोर देती है ।
 - संस्थागत आघात से नपिटने और पुनरावृत्ति को कम करने के लिये **अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य जाँच, परामर्श तथा नरितर मनोवैज्ञानिक सहायता कार्यक्रम** शुरू किये जाने चाहिये ।
- **प्रौद्योगिकी-सकषम जेल प्रबंधन:** एक व्यापक जेल प्रबंधन सूचना प्रणाली (PMIS) बनाया जाना चाहिये ।
 - पारदर्शी संस्थागत रिकॉर्ड बनाए रखते हुए कैदियों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिये **ब्लॉकचेन-आधारित सुरक्षित डेटा प्रबंधन प्रणाली** को लागू किया जाना चाहिये ।
 - **एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल केस ट्रैकिंग प्रणाली** वकिसति किया जाना चाहिये जो वचाराधीन अवधि पर नज़र रखे तथा उचित समय-सीमा से अधिक समय तक लंबित मामलों के लिये स्वचालित रूप से समीक्षा तंत्र सकरिय करे ।
 - मामले की जटिलताओं का पूर्वानुमान लगाने और न्यायिक संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने के लिये **कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मशीन लर्निंग** का लाभ उठाए जाने की आवश्यकता है ।
 - वशिष स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने के लिये **टेलीमेडिसिन अवसंरचना** का विकास किया जाना चाहिये, वशिष रूप से दूर-दराज़ के स्थानों पर या सीमिति चकितिसा सुविधाओं वाले कैदियों के लिये ।

- **पारदर्शी संस्थागत नगिरानी:** एक स्वतंत्र जेल लोकपाल की स्थापना की जानी चाहिये, जिसके पास अधोषति निरीक्षण करने, मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच करने और प्रणालीगत सुधारों की सफ़ाई करने की शक्तियाँ हों।
 - जेल की स्थिति, पुनर्वास के आँकड़े और संस्थागत चुनौतियों का **विवरण देने वाली त्रैमासिक सार्वजनिक रिपोर्ट** अनिवार्य की जानी चाहिये।
 - संस्थागत कदाचारों की रिपोर्ट करने के लिये जेल कर्मचारियों और कैदियों के लिये एक व्यापक मुखबरी सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाना चाहिये।
- **वशिष्ट कैदी प्रबंधन दृष्टिकोण:** विभिन्न कैदी श्रेणियों के लिये लक्षित हस्तक्षेप रणनीति विकसित किया जाना चाहिये, जिसमें **पहली बार अपराध करने वालों, दीर्घकालिक कैदियों और संभावित कट्टरपंथीकरण जोखिम वाले लोगों के लिये विशेष कार्यक्रम शामिल हैं।**
 - महिलाओं और बाल अपराधियों के लिये **विशेष सहायता हेतु कृषि अय्यर समिति** की सफ़ाई को लागू किया जाना चाहिये, जिसमें लिंग-संवेदनशील बुनियादी अवसंरचना तथा पुनर्वास दृष्टिकोण शामिल हों।

नबिर्कष:

समय की सबसे बड़ी मांग है कहिम अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली (CJS) को अधिक कुशल और प्रभावी तंत्र में बदलें। इसके लिये जेल सुधारों से परे व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। पुनर्वास को प्राथमिकता देकर, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करके और सभी कैदियों के अधिकारों की रक्षा करके, हम एक ऐसी न्याय व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं जो न्यायपूर्ण एवं मानवीय दोनों हो। हमारे समाज का भविष्य आपराधिक न्याय के पूरे स्पेक्ट्रम में सार्थक सुधारों को लागू करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है।

222222 222222 222222:

प्रश्न. भारतीय कारागार व्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा इसके प्रभावी सुधार के लिये उपाय प्रस्तावित कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न 1. मृत्यु दंडादेशों के लघूकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-वविाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय-सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये? विश्लेषण कीजिये। (2014)

प्रश्न 2. भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकित्वों (मकैनज़िम) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका एवं अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजिये। (2014)